न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या - अपील नं0 2016/00084 (83/2016) 75 एलआरएक्ट

1. कृष्णलाल पुत्र श्री देवसीराम जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. गुरबचन सिंह पुत्र लालसिंह जाति नायक निवासी सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला हनमानगढ।
3. जोगिन्द्र सिह पुत्र लाल सिंह जाति नायक निवासी चक 12 एसटीबी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
4. हरबंस सिंह पुत्र लाल सिंह जाति नायक निवासी 12 एसटीबी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
5. बन्ताि सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति नायक निवासी चक 12 एसटीबी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
6. राजू पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति नायक निवासी चक 12 एसटीबी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ। - अपीलान्ट

बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र सरजीत सिह जाति मजबी निवासी 12 एसटीबी-ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

- रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनाक 15.06.2015 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा प्र. सं. 05/2015 बअनवानी मलकीत सिह बनाम राजस्थान सरकार

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री धीर सिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक -23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 12 एसटीबी ए के प. नं. 27/346 (9) किला नं. 25 की .

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

227 है. कमांड व प. नं. 28/346 किला नं. 20 की .253 व 21/1 की .228 है. कुल 0.708 है. आराजी राज भूमि के स्मॉल पेच में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार से प्रश्नगत रकबे की रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 15.06.2015 को रेस्पोडेण्ट मलकीत सिह व एक अन्य चिपते काश्तकार मुखत्यार कौर के बीच निलामी की कार्यवाही की एवं अधीकतम बोलीदाता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया, इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण चिपते काश्तकार हैं। तहसीलदार ने जो रिपोर्ट की है वह मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है। स्मॉलपेच में आवंटन के सर्वप्रथम अधिकारी अपीलार्थीगण थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 को लाभ पहुंचाने की गर्ज से राजस्व नुकसान करते हुए बन्द कमरे में केवल कागजी कार्यवाही कर नीलीमी की कार्यवाही की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई। अपील जानकारी से अंदर मियाद है। अपीलार्थी संख्या 1 अपने निजी कार्य से पटवारी के पास गया हुआ था वहां प्रत्यर्थी संख्या 2 भी पटवारी के पास आया हुआ था जिसने पटवारी से बातचीत के आधार पर अपीलार्थी को इस बात की जानकारी हुई कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के बिना सूचना दिये अपीलाधीन आदेश निष्पादित करवाया है। जिस पर अपीलार्थी सं01 द्वारा लालसिंह के वारिसान को यह जानकारी दी और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पेडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने स्मॉल पेच में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें चिपते काश्तकारों को नोटिस दिया गया था। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई, अन्य कोई चिपता काश्तकार नहीं था। जो चिपते काश्तकार उपस्थित आये उनके बीच निलामी करवाई गई। हमने अधिकतम बोली लगाई जिसके कारण प्रश्नगत रकबा हमें स्मॉल पेच में आवंटित किया गया था। अपीलाण्ट को यदि रकबा आवंटित करवाना था तो आवंटन की कार्यवाही करनी चाहिए थी अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का इन्तजार नही करना चाहिए था। हम आवंटन के इच्छुक थे हमने कार्यवाही की और नियमानुसार हमें रकबा आवंटित किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार हमारे अलावा अन्य चिपते काश्तकार नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 12 एसटीबी ए की प्रश्नगत 0.708 है. आराजी राज भूमि को स्मॉल पेच में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, विचारण न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया और चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी किये गये। जिस पर चिपते काश्तकार मुखत्यार कौर द्वारा भी एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जो रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किया गया। चिपते काश्तकार मलकीतसिंह एवं मुखत्यार कौर के उपस्थित आने पर निलामी की कार्यवाही की गई। अधिकतम बोली रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा लगाई जाने पर उसको प्रश्नगत रकबे का आवंटन किया गया। अपील में **अपीलाण्ट्स का कथन है कि उसको आवंटन से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट्स ने अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसका कौनसा रकबा स्मॉल पेच में आवंटित रकबे से लगता है। अधीनस्थ न्यायालय की पपत्रावली में चिपते काश्तकारों का विवरण अंकित है प्रश्नगत रकबा राज के आस पास उत्तर में मलकीत सिंह दक्षिण मं रास्ता अन्य मु0 नं0 19 में बलविन्द्र वगैरह व मु0 नं0 20 में किशन सिंह इन्द्र सिंह, पुर्व में आराजी राज व मुखत्यार कौर, पश्चिम में मलकीतसिंह स्वयं का नाम दर्ज है।**

7. तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट मंगवाई गई और तहसीलदार ने पटवारी हल्का की मूल रिपोर्ट ही अधीनस्थ न्यायालय को अग्रेषित की है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट में अपीलाण्ट चिपता हुआ काश्तकार नहीं दर्शाया गया है। स्मॉल पेच में आवंटन में उसी मुरब्बे के चिपते काश्तकारों की प्राथमिकता दी जाती है। उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट चिपता हुआ काश्तकार नहीं है। अपीलाण्ट ने यह स्पष्ट नही किया कि वह प्रभावित पक्षकार किस प्रकार है जबकि अधीनस्थ न्यायायल ने तहसीलदार से चिपते काश्तकारों की रिपोर्ट के आधार पर उपस्थित पक्षकारों के मध्य प्रतिस्पर्धा करवा कर स्मॉल पेच में भूमि का आवंटन रेस्पोडेण्ट को किया है। अतः अपीलाण्ट की अपील में हम कोई सार नही पाते हैं फलस्वरूप अपीलार्थीगण का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक15.06.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 14:09:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: